

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 301]

नवा रायपुर, सोमवार, दिनांक 8 जून 2026 — ज्येष्ठ 18, शक 1948

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 5 जून 2026

अधिसूचना

क्रमांक- RULE-503/17/2025.— छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2002 (क्रमांक 07 सन् 2002) की धारा 12 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से संबंधित समस्त अनुज्ञप्ति, अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं अनुमोदनों के आवेदनों की समीक्षा एवं उनके समयावधि में निराकरण सुनिश्चित करने हेतु निम्नानुसार “राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी” का गठन करता है :—

(i)	भारसाधक सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग (संयोजक राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड)	अध्यक्ष
(ii)	संचालक, उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़	सदस्य
(iii)	प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट इन्डस्ट्रीअल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन	सदस्य
(iv)	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि	सदस्य
(v)	सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल	सदस्य
(vi)	संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा	सदस्य
(vii)	आयुक्त, श्रम	सदस्य
(viii)	नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान	सदस्य
(ix)	संचालक, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	सदस्य
(x)	संचालक, कार्यालय भू-अभिलेख, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग	सदस्य
(xi)	संचालक, संचालनालय, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य
(xii)	संचालक, संचालनालय, स्वास्थ्य सेवाएँ	सदस्य
(xiii)	निदेशक, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा	सदस्य
(xiv)	अपर संचालक, राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड	सदस्य सचिव

उक्त समिति की शक्तियां एवं कार्य निम्नानुसार होंगे:-

1. सिंगल विंडो पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों एवं उनके समय सीमा में निराकरण की समीक्षा।
2. समय-सीमा से बाहर लंबित आवेदनों को अनुमोदन प्रदान करने की शक्ति।
3. विभिन्न सेवाओं हेतु निर्धारित समय सीमा एवं उद्योगों की स्थापना तथा संचालन हेतु Turn Around Time की समीक्षा एवं उसमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन करने की शक्ति।
4. राज्य को एक अग्रणी निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करने हेतु दूरदर्शी नीतियों के निर्माण, वैश्विक साझेदारियों को प्रोत्साहित करने तथा पारिस्थितिकी तंत्र-स्तरीय पहलों को संचालित करते हुए सतत एवं उच्च प्रभाव वाले निवेश आकर्षित करने के लिए रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करना, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव सुनिश्चित किया जा सके।
5. निवेशकों की सुविधा हेतु राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड एवं थर्ड-पार्टी एजेंसी के कार्यों की समीक्षा।

यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रजत कुमार, सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 5th June 2026

NOTIFICATION

No. RULE-503/17/2025.— In exercise of the powers conferred by Section 12 (1) of the Chhattisgarh Industrial Investment Promotion Act, 2002 (No. 07 of 2002) Government of Chhattisgarh, hereby, constitutes the following “State Level Nodal Agency” for the review of applications for all licenses, no-objection certificates and approvals relating to industrial and commercial establishments, and for ensuring their disposal within the stipulated time period :—

(i)	Secretary, Department of Commerce and Industry (Convener, State Investment Promotion Board)	Chairperson
(ii)	Director, Directorate of Industries, Chhattisgarh	Member
(iii)	Managing Director, Chhattisgarh State Industrial Development Corporation	Member
(iv)	Representative of Principal Chief Conservator of Forests, Chhattisgarh	Member
(v)	Member Secretary, Chhattisgarh Environment Conservation Board	Member
(vi)	Director, Industrial Health and Safety	Member
(vii)	Commissioner, Labour	Member
(viii)	Director, Legal Metrology	Member
(ix)	Director, Directorate, Urban Administration and Development Department	Member
(x)	Director, Office of Land Records, Revenue and Disaster Management Department	Member
(xi)	Director, Directorate, Panchayat and Rural Development Department	Member
(xii)	Director, Directorate of Health Services	Member
(xiii)	Director, Fire and Emergency Services	Member
(xiv)	Additional Director, State Investment Promotion Board	Member Secretary

The powers and functions of the said Committee shall be as follows:

1. Review of applications received on the Single Window Portal and their disposal within the prescribed time limit.
2. Power to grant approval to applications pending beyond the prescribed time limit.
3. Review of the time limits prescribed for various services and of the Turn Around Time for the establishment and operation of industries, and the power to modify the same as required.

4. To provide strategic guidance for attracting sustained and high-impact investment by formulating visionary policies, encouraging global partnerships and driving ecosystem-level initiatives, so as to establish the State as a leading investment destination and to ensure a significant positive impact on the State's economy.
5. Review of the functions of the State Investment Promotion Board and the third-party agency for the facilitation of investors.

This notification shall come into force from the date of its publication in the Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
RAJAT KUMAR, Secretary.